| हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>अपील 06/22<br>राणसिंह बनाम सरकार | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|

# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

## आदेश

दिनांक 17.02.2023

उपस्थिति

1. प्रार्थी की तरफ से अधिवक्ता श्री दानसिंह राठौड़
2. विप्रार्थीगण की तरफ से राजकीय अभिभाषक श्री हरीराम चौधरी

अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस करते हुए निवेदन किया कि उपरोक्त अनवान की राजस्व अपील प्रार्थी अपीलांट द्वारा श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत की गई थी जो दिनांक 22.08.2019 को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की गई। अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलांटस को होने पर शीघ्रता पूर्वक अपीलांट द्वारा मूल अपील पुनः बराबद कर गुणावगुण पर निस्तारित करने का आवेदन दिनांक 20.09.2019 को ही पेश कर दिया गया था, लेकिन अपीलांटस के मूल अपील को पुनः बरामद करने के प्रार्थना–पत्र पर तकनीकी भूल की वजह से कोई आदेश नहीं हो पाया और मूल पत्रावली फैसल शुमार कर दाखिल दफ्तर कर दी गई है, जबकि पत्रावली मे मूल अपील पुनः बरामद करने का प्रार्थना–पत्र विचाराधीन है जिस पर कोई विधि सम्मत आदेश पारित नहीं हो रखा है जिस कारण उक्त अपील की मूल पत्रावली रेकर्ड से तलब कर अपील पुनः बरामद करने के प्रार्थना–पत्र पर सुनवाई की जाकर मूल अपील पुनः रिस्टोर कर गुणावगुण पर निस्तारित किया जाना न्यायहित में अति आवश्यक व न्याय संगत है। उक्त परिस्थितियों को मध्य नजर रखते हुए उक्त अपील को इसी स्तर पर पुनः ग्रहण कर उसका गुणावगुण पर न्यायिक निस्तारण करने के आदेश कर सकें। अतः अपीलांट का आवेदन स्वीकार फरमाया जावे।

अधिवक्ता विप्रार्थी ने बहस करते हुए निवेदन किया कि हाजा न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अपीलांटस द्वारा अपील को पुनः बरामद करने का आवेदन सही तरीके से पेश नहीं करने के कारण उस पर विचार नहीं किया गया। प्रार्थी द्वारा हस्तगत आवेदन मियाद बाहर पेश किया गया जिसका कोई सदभाविक कारण नहीं दर्शाया गया। यदि न्यायालय द्वारा आवेदन को स्वीकार किया जाता है तो अपीलांटस पर भारी कॉस्ट लगाई जावे। अतः आवेदन खारिज फरमाया जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनने एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि प्रार्थना–पत्र प्रार्थी के अधिवक्ता की अनुपस्थिति अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की गई। अपीलांटस द्वारा पूर्व में जो रेस्टोरेशन आवेदन पेश किया गया उसमें प्रक्रियागत संपूर्ण कार्यवाही को पूर्ण नहीं किया गया। प्रार्थना–पत्र का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज किया जाना न्यायोचित नहीं

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

है। न्यायाहित में अपीलांट को अपने प्रकरण को गुणावगुण पर निस्तारण का अवसर दिया जाना लाजमी है। लिहाजा अपीलांटस/प्रार्थी का रेस्टोरेशन प्रार्थना–पत्र के समर्थन में पेश शपथ–पत्र पर विश्वास कर स्वीकार किया जाता है तथा अपील को पुनः पुराने नंबर पर दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैशल शुमार नंबर से कम होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश सरे इजलाश दिनांक 17.02.2023 को सुनाया गया।

(प्रियंका भालानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर